Telesonic Networks Ltd.
3 rd & 4th Floor,Scheme No. 54
A B Road, Metro Tower,
Near Vijay Nagar Square,
Indore (M.P.)-452010

www.airtel.in
Call+ 91 731 4222555

airtel

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
सामान्य वनमण्डल शिवपुरी म.प्र.

विषयः– शिवपुरी जिले में Telesonic Networks Ltd. द्वारा Shivpuri- Chak Madrail (Border) Route में ओ.एफ.सी. केबल लाईन डालने हेतु 0.2 हैक्टेयर वन भूमि के प्रस्ताव में स्वीकृति जारी करने बावत्। (प्रकरण क्रमांक/FP/MP/OFC/147984/2021)

सन्दर्भः– क्रमांक/डी एम/2022/2743 शिवपुरी दिनांक 20.05.2022

अधिरोपित शर्तो का पालन प्रतिवेदन एवं वचन–पत्र संलग्न दिया जा रहा है–

अधिरोपित शर्त– **पालन प्रतिवेदन–**

1.	राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण के क्षेत्र में यह स्वीकृति लागू नही होगी।	1.	मान्य है
2.	वनभूमि व्यपवर्तन की स्वीकृति केवल वर्तमान में उपलब्ध मार्ग के किनारे राईट ऑफ वे के क्षेत्र के लिये दी जा रही है। यदि राइट ऑफ वे के क्षेत्र में कार्य नहीं किया जाता है तो यह स्वीकृति स्वमेव निरस्त मानी जावेगी।	2.	मान्य है
3.	ऑप्टीकल फाईवर केवल लाईन बिछाने हेतु आपके द्वारा प्रस्ततु प्रस्ताव में उल्लेखित लम्बाई 990 मीटर चौड़ाई 0.45 मीटर एवं गहराई 1.00 मीटर क्षेत्र में ही मौके पर कार्य करना होगा।	3.	मान्य है
4.	प्रस्तावित क्षेत्र में आने वाले वृक्षों को काटा नही जावेगा और न ही वनक्षेत्र में खड़े वृक्षों को क्षति पहुंचाई जावेगी तथा खंती में आने वाले वृक्षों की जड़ों को भी काटा नहीं जावेगा।	4.	मान्य है
5.	वन भूमि का वैधानिक स्वरूप परिवर्तित नही होगा।	5.	मान्य है
6.	वन भूमि का उपयोग प्रस्तावित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य के लिये नहीं किया जावेगा। भूमि के प्रयोजन के बगैर केन्द्र शासन की पूर्व अनुमति के किसी भी प्रकार का परिवर्तन वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन माना जावेगा।	6.	मान्य है
7.	उपयोगकर्ता अभिकरण व्यपवर्तित वन भूमि तथा उसके चारो ओर के क्षेत्र में जीव जन्तु व वनस्पति को होने वाले नुकसान के लिये जिम्मेदार रहेगा तथा उनको संरक्षित सभी आवश्यक उपाय भी करेगा।	7.	मान्य है
8.	वन क्षेत्र में श्रमिक कैम्प नहीं लगाये जावेगें।	8.	मान्य है

TELESONIC NETWORKS

23.05.2022

Telesonic Networks Ltd.
3 rd & 4th Floor,Scheme No. 54
A B Road, Metro Tower,
Near Vijay Nagar Square,
Indore (M.P.)-452010

www.airtel.in
Call+ 91 731 4222555

airtel

9.	आप्टीकल फाईवर केबल लाईन बिछाने के उपरांत खोदी गई खंती से निकाली गई मिट्टी से आपके द्वारा अपने व्यय पर समतलीकरण किया जाना अनिवार्य होगा।	9.	मान्य है
10.	समतलीकरण कार्य आपके द्वारा अनिवार्य रूप से किया जावेगा तथा उसके लिए मिट्टी तथा पत्थर की आवश्यकता हो तो वनक्षेत्र से उत्खनन कार्य नहीं किया जावेगा।	10.	मान्य है
11.	यदि आपके द्वारा तथा ठेकेदार द्वारा वन या वन भूमि को किसी प्रकार की हानि/क्षति पहुचाई जाती है तो जो वनक्षेत्र की हानि होगी वह इस कार्यालय द्वारा निधारित की जावेगी। जो आपके द्वारा अनिवार्य रूप से देय होगी।	11.	मान्य है
12.	यदि आवेदक संस्था द्वारा उक्त कार्य के रखरखाव के लिए यदि कोई भी कार्य कराया जाता है तो बिना वनमण्डलाधिकारी की पूर्वानुमति के नहीं किया जावेगा।	12.	मान्य है
13.	म.प्र. शासन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी एवं वन मण्डलाधिकारी द्वारा प्रकरण में अन्य कोई शर्ते अधिरोपित की जाती है तो आवेदक संस्था मानने के लिए बाध्य होगी।	13.	मान्य है
14.	यदि आवेदक संस्था द्वारा प्रदान की गई सशर्त स्वीकृत व वन अधिनियमों का किसी प्रकार से मौके पर उल्लंघन किया जाता है, इस कार्यालय द्वारा दी गई स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जावेगा।	14.	मान्य है
15.	उपरोक्त शर्तो के पालन में आवेदक संस्था द्वारा कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वचन पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तदोपरान्त ही कार्य प्रारंभ कर सकेगें।	15.	मान्य है

उपरोक्त उल्लेखित समस्त शर्तो का पालन प्रतिवेदन मय हस्ताक्षर सहित आवेदक संस्थान द्वारा श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है, अग्रिम कार्यवाही किये जाने की कृपा करें।

TELESONIC NETWORKS LTD.

23.05.2022

टेलीसोनीक नेटवर्कस लिमिटेड
3 फ्लोर मेट्रो टावर, नियर विजय
नगर, इन्दौर म.प्र.